न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 65/2024

मनीष कुमार पुत्र श्री बाबूराम जाति अग्रवाल निवासी 4 रिद्धि सिद्धि फस्ट श्रीगगानगर मुखत्यार खास बाबूराम पुत्र श्री मनोहरलाल जाति अग्रवाल निवासी 4 रिद्धि सिद्धि फस्ट श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरमेल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 8 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल वी०के० सिटी प्लाट न0–6 पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर
2. पंकज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति अग्रवाल निवासी 4 रिद्धि सिद्धि प्रथम श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राज० जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संतीश गोसाईं अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा – – अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 3

अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–04.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 8 जी छोटी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर मे जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता सं0– नया 19 पुराना 5 मु0नं0–10 के कि0 नं0– 1 ता 11 कुल 11 बीघा मु0नं0–13 के कि0नं0–25 सालम मु0 नं0 –14 मे 1 ता 4 सालम 5/1 में 0.228, 5/2 में 0.025, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 7 सालम कुल 7 बीघा खातेदारी कृषि भूमि है व मु0नं0 –10 के कि0नं0 – 12 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 14 बीघा मु0नं0–14 में कि0नं0– 8 ता 14 प्रत्येक सालम कुल 7 बीघा व कि0 न0 – 15/1 में 0.113 व 15/3 में 0.0130 है० नहरी कुषि भूमि प्रार्थी के भाई अप्रार्थी सं0–2 पंकज कुमार के नाम से खातेदारी है। चक 8 जी छोटी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर में खाता स० नया 7 मुरब्बा 8 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में मु0नं0–9 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कि0नं0–1 ता 25 कुल 25 बीघा नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0–1 गुरमेल सिंह के नाम से खातेदारी है। प्रार्थी के अपने मु0नं0–10 में आने–जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता स्वीकृत नही है जिससे प्रार्थी एंव प्रार्थी के भाई को कृषि कार्य के लिए खेत में आने–जाने में बड़ी परेशानी होती है और पड़ोस के काश्तकारो से मिन्नत प्रार्थना करके आता जाता है और जब पड़ोसी काश्तकार फसल काश्त कर लेते है तो प्रार्थी को खेत में आने–जाने कृषि औजार ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने में परेशानी होती है। प्रार्थी के मुरब्बा के लिए सरकारी रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण आने–जाने के लिए कई बार फसल काश्त करने एंव निकालने में भी देरी हो जाती है । प्रार्थी के मु0नं0–10 के साथ मु0नं0– 9 अप्रार्थी सं0–1 गुरमेल सिंह का चिपता हुआ है आबादी के साथ स्वीकृत रास्ता है और पक्की सड़क बनी हुई है और मौका पर चल रही है । यह पक्की सड़क चुनावढ कोठी से आगे गांव 1 एच की और जाती है । प्रार्थी आबादी से पक्की सडक आकर मु0नं0–9 के कि0नं0 –1, 10, 11, 20, 21 में से होकर अपने मु0न0–10 में प्रवेश कर लेगा। प्रार्थी को अपने मु0न0– 10 की कृषि भूमि में जाने के लिए सुविधा युक्त सुलभ एंव नजदीक रास्ता होगा। मु0नं0 –9 के कि0नं0 – 6 व 15 में पक्की डिग्गी बनी हुई है इसलिए यहा पर रास्ता स्वीकृत किया जाना स्मभव नही है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0–1 को भूमि की डीएलसी की कीमत की दुगुनी राशि भी अदा करते के लिए तैयार है अगर अप्रार्थी रास्ता में आयी भूमि के बदले अपने मु0नं0–10 की कृषि भूमि से उतनी भूमि कि0 नं0 –21, 22, 23, 24, 25 के साथ चिपती है देने को तैयार है । जैसा भी अप्रार्थी को स्वीकृत होगा भूमि के बदले भूमि या डीएलसी के रेट से दुगुनी राशि वह प्रार्थी देने के लिए सहमत एंव रजामन्द है । राज्य सरकार द्वारा धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में किसानो को आ रही रास्ता के समस्याओ के लिए यह उपधारा जोड़ी गयी है प्रार्थी इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य सुविधानुसार एंव सही समय पर स्वीकृत रास्ते से आ–जाकर कर सके । प्रार्थी के मु0नं0 – 10 कृषि कार्य करने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है । मु0नं0–9 के कि0नं0 – 1,10,11,20,21 मे 2–2 – बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने–जाने के लिए यह रास्ता नजदीक एंव सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। 7– यह किं अप्रार्थी सं0–2 प्रार्थी का भाई है आज उपस्थित नही होने के कारण उसे बतौर अप्रार्थी सं0–2 बनाया गया है और प्रार्थी का भाई अप्रार्थी सं0–2 उस रास्ते को स्वीकृत करवाने के लिए सहमत एंव रजामंद है अप्रार्थी सं0दृ3 लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थना–पत्र काबिल समायत अदालतवाला एंव न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार में है। एंव पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है । अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 8 जी छोटी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–नया 19 पुराना 5 मु0नं0– 10 की कृषि भूमि के लिए खाता सं0– नया 7 पुराना 8 मु0नं0–9 के कि0नं0–1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–2 के भाई के नाम चक 8 जी छोटी मुरब्बा नम्बर–10 में किला नम्बर–1 ता 11 में 11 बीघा, मुरब्बा नम्बर 13 में किला नम्बर 25 सालम, मुरब्बा नं. –14 में किला नं. 1 ता 4 सालम, 5/1 में 0.223, 5/2 में 0.025, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 7 सालम कुल 7 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर–10 में किला नम्बर–12 ता 25 में रकबा दोनो भाईयों के नाम दर्ज है। दरखास्त की मद संख्या–2 में यह सही है कि अप्रार्थी के नाम चक 8 जी छोटी मुरब्बा नम्बर–9 में किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें मुरब्बा नम्बर–9 में लि नम्बर 1 ता 5 गैर सरकारी सड़क पक्की अप्रार्थी के खेत में जाती है। दरखास्त की मद संख्या 3 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है बल्कि प्रार्थी के खेत में सरकारी सड़क वर्ष 1923 से चल रही है। मुरब्बा नम्बर–14 के किला नम्बर 1 ता 5 में पीछे से लगभग तीन मुरब्बा सड़क चल रही है जो मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 5 में आती है तथा यही किला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–2 का है इस सड़क से खेत मुरब्बा नम्बर–10 में जा रहा है। बाकी मौका पर रास्ता चल रहा है इसलिए मुरब्बा नम्बर–10 में रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है महज अप्रार्थी को परेशान करने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि उपरोक्त सड़क वर्ष 1923 से जब से गंग कैनाल का पानी आया है तब से उपरोक्त सड़क पर मु.नं. 10 खातेदार आ रहे है इसलिए प्रार्थी को किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। दरखास्त की मद संख्या–4 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है। जब प्रार्थी का बहुत पुराने समय से रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता तथा मुरब्बा नम्बर–9 में लि नम्बर 1 से 5 में पहले अप्रार्थी खेत में रास्ता पक्की सड़क चल रही है तो कानूनन नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता पूर्व में जब से गंग कैनाल नहर आयी है तब से रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यह सही है कि मुरब्बा नम्बर–9 में किला नम्बर – 6–15 में डिग्गी बनी हुई है। जबकि मुरब्बा नम्बर–10 में कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं है तथा पहले रास्ता चल रहा है तो डीएलसी की दो गुणा व जमीन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। यह कि दरखास्त की मद संख्या 5 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है। धारा 251 एआरटी एक्ट में यह अर्ज कि पूर्व में रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व में पूरी शाखा का रास्ता चल रहा है तथा प्रार्थी को रास्ता की कोई असुविधा नहीं है तथा जो रास्ता चल रहा है उसमें दूरी का भी कोई असर नहीं है। दरखास्त की मद संख्या 6 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है बल्कि मुरब्बा नम्बर–14 किला नम्बर–5 में रास्ता से पहूंचा जाकर उसके बाद प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर–1 में अपने खेत में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मौका पर जा रहा है तथा मौका पर रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। दरखास्त की मद संख्या 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कथन– प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर–14 में किला नम्बर–1 ता 5 में रास्ता मौका पर चल रहा है। मुरब्बा नम्बर–14 किला नम्बर–5 में 0.253 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई अप्रार्थी के नाम है जो उपरोक्त रास्ता जब से गंग कैनाल आयी है तब से मुरब्बा नम्बर–10 में रास्ता का उपयोग कर रहा है। जब रास्ता चल रहा है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। भूमि की कीमत बढ़ जाने की वजह से लालचवश प्रार्थी भूमि को बेचान करना चाहता है इसी वजह से अप्रार्थी को परेशान करने के लिए झूठा व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए अप्रार्थी को धारा सीपीसी 35 ए के तहत हर्जाना दिलाया जावे। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने हेतु रास्ता की आवश्यकता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 8 जी छोटी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0–नया 19 पुराना 5 मु0नं0– 10 की कृषि भूमि के लिए खाता सं0– नया 7 पुराना 8 मु0नं0–9 के कि0न०–1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील अप्रार्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 जो सगे भाई है, को मुरब्बा नम्बर 10 में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है अर्थात प्रार्थी अपनी उक्त कृषि में पूर्वी दिशा में स्थित मुरब्बा नम्बर 12 व 11 के किला नम्बर 1 ता 5 में उत्तरी दिशा से काफी वर्षो से आवागमन कर रहे हैं तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थी की कृषि भूमि उपयुक्त प्रचलित रास्ता है जिसे वह उपयोग भी करते आ रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 की मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 ता 5 में से सरकारी रास्ता कटा हुआ है अर्थात अप्रार्थी की भूमि में से पूर्व में ही रास्ता कटा हुआ है ऐसे में अगर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से दोनों दिशाओं में रास्ता संचालित हो जावेगा तथा कृषि भूमि अप्रार्थी की कम हो जावेगी। विधिक प्रावधानों अनुसार सुविधा एवं लघुतम रास्ता हेतु किसी कृषक को रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है बल्कि रास्ता की आवश्यकता आत्यंतिक होनी चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता की उपलब्धता नहीं होती हो। इस कारण किसी प्रकार से अप्रार्थी के रकबा रास्ता स्वीकृत करवाने के अप्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

...अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पत्र खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2024(1) RRT 448 पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट अंकित है कि "प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा में आने जाने के लिए मु.नं. 11 व 12 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी दिशा में घरेलू रास्ता से आना जाना करता है।" इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम् प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहा है। प्रार्थी के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **04.04.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर